उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रकिया'' (एस0ओ0पी0)

1. प्रस्तावना :

भारत सरकार द्वारा 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास एवं गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की समग्र रूप से पूर्ति हेतु ''एकीकृत बाल विकास सेवायें'' (आई0सी0डी0एस0) दिनांक 02 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गयी थी। आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत आगनबाड़ी केन्द्रों (ए0डब्लू0सी0) के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण एवं अनौपचारिक शिक्षा सहित छः प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में आई0सी0डी0एस0 के ''अनुपूरक पोषण कार्यक्रम'' (एस0एन0पी0) के अन्तर्गत प्रावधानित **''टेक होम राशन'' (टी0एच0आर0)**, बच्चों (06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग), 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों (प्रातःकालीन स्नैक्स के रूप में), मर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, कुपोषित बच्चों (06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग) एवं (11 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग) तथा ''किशोर बालिकाओं हेतु योजना'' (एस0ए0जी0) के अन्तर्गत प्रावधानो से आच्छादित स्कूल न जाने वाली/स्कूल से बाहर किशोरियों को प्रदान किया जाता है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–2336/2019 में पारित निर्णय में ''स्वंय सहायता समूह'' (एस0एच0जी0) के माध्यम से टी0एच0आर0 वितरण/आपूर्ति के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है। ऐसी ही व्यवस्था एन0एफ0एस0ए0, 2013 की अनुसूची–2 एवं एस0एन0पी0 नियमावली, 2017 के नियम–9 में भी उल्लिखित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–....., दिनांकः..... के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में स्वंय सहायता समूह (एस0एच0जी0) के माध्यम से टी0एच0आर0 वितरण को विकेन्द्रीकृत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

अतः तद्नुसार यह परिकल्पित किया गया है कि आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यू0पी0एस0आर0एल0एम0) के ''स्वंय सहायता समूहों'', खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (एफ0एण्डसी0एस0डी0) की उचित मूल्य की दुकाने (ए0पी0एस0) एवं प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0) को संलग्न (engage) करके ड्राई राशन (गेहूँ, चावल, दाले, देसी घी एवं स्किम्ड मिल्क पाउडर) लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

यह ''मानक प्रचलन प्रकिया'' (एस0ओ0पी0) – ड्राई राशन (टी0एच0आर0) की निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आपूर्ति श्रंखला, प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की मात्रा, वितरण की आवृत्ति, निगरानी ढांचे के साथ–साथ ड्राई राशन (टी0एच0आर0) के वितरण/आपूर्ति संबंधी सूचना–प्रवाह हेतु

उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रक्रिया'' (एस0ओ0पी0)

सूचना प्रौद्योगिकी मचं की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधानों को, व्यवहरित (deal) करते है।

यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा पूरे प्रदेश में ''स्वंय सहायता समूह'' (एस0एच0जी0) गठित एवं संघित (federated) किए जा रहें हैं। इस एस0ओ0पी0 अभिलेख में पूरे प्रदेश में एस0एच0जी0 द्वारा ड्राई राशन के क्रय एवं वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख/वर्णन है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय द्वारा टी0एच0आर0 के सुचारू रूप से वितरण का क्रियान्वयन सनिश्चित करने हेतु, हितधारकों के परामर्श से, इस ''मानक संचालन प्रक्रिया'' (एस0ओ0पी0) में समय–समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– टी0एच0आर0 (ड्राई राशन) वितरण हेतु लाभार्थियों की श्रेणियाँ :

उत्तर प्रदेश में 897 परियोजनाओं (ब्लाक स्तर) में लगभग 1.64 करोड़ लाभार्थियों सहित कुल लगभग 1,89,204 आंगनबाड़ी केन्द्र (ए0डब्लू0सी0) हैं। प्रदेश में समस्त लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण एवं लागत के मानदंड निम्नानुसार हैं :–

तालिका–1
भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचनाओं के अनुसार श्रेणियाँ, अनुपूरक पोषण आवश्यकताएं एवं लागत के मानदंड

क्र.सं.	लाभार्थियों की श्रेणियाँ (एस0एन0पी0 एवं एस0ए0जी0)	संख्या (माह, 2020 तक)	कैलोरी (के0कैल/इकाई/दिन)	प्रोटीन (जी0/इकाई/दिन)	लागत मानदंड (रू0/इकाई/दिन)
1.	बच्चे (06 माह से 03 वर्ष)	80,48,064	500	12-15	8.00
2.	बच्चे (03 वर्ष से 06 वर्ष)	39,56,087	200	6	3.50
3.	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं	35,86,848	600	18-25	9.50
4.	किशोरियां (11 से 14 वर्ष)	3,42,412	600	18-25	9.50
5.	गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष)*	5,27,970	800	20-25	12.00
	योग	**1,64,60,381**			

उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रकिया'' (एस0ओ0पी0)

***टिप्पणी** : डब्लू0सी0डी0 के संशोधित लागत मानदंड सबंधी पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 के अनुसार, ''गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे'' (06 माह से 72 माह) के रूप में श्रेणी परिभाषित/वर्गीकृत की गयी है। ''गम्भीर रूप से कुपोषित'' को ''गम्भीर रूप से अल्पवजन'' के रूप में माना जाता है और उन्हें आयु–के–अनुसार–वजन मापदण्ड (विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार मीडियन के 3z स्कोर से कम) का प्रयोग करके चिन्हांकित किया जाता है। एस0एन0पी0 एवं एस0ए0जी0 के अन्तर्गत उक्त लक्षित लाभार्थियों को, भारत सरकार के नवीनतम एस0एन0पी0 एवं एस0ए0जी0 मानदण्डों के अनुसार दैनिक कैलोरी एवं प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, राशन की प्रति माह निम्नलिखित मात्रा प्रदान की जायेगी। ''गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं'' एवं ''किशोर बालिकाओं'' के लाभार्थी समूहों को भी प्रति माह ड्राई राशन (टी0एच0आर0) की समान मात्रा प्रदान की जायेगी :–

तालिका–2 : लाभार्थीवार मासिक ड्राई राशन की पात्रता[1]

लाभार्थी समूह	अनाज (मासिक पात्रता एवं आपूर्ति)	दालें (मासिक पात्रता एवं आपूर्ति)	दुग्ध उत्पाद (त्रैमासिक पात्रता एवं आपूर्ति)
06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे	चावल–1.0 कि0ग्रा0 गेहूँ–1.5 कि0ग्रा0	0.75 कि0ग्रा0	देसी घी–450 ग्राम स्किम्ड दूध–400 ग्राम
03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे	चावल–1.0 कि0ग्रा0 गेहूँ–1.5 कि0ग्रा0	-	स्किम्ड दूध–400 ग्राम
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं एवं स्कूल से बाहर किशोरियां (11 वर्ष से 14 वर्ष)	चावल–1.0 कि0ग्रा0 गेहूँ–2.0 कि0ग्रा0	0.75 कि0ग्रा0	देसी घी–450 ग्राम स्किम्ड दूध–750 ग्राम
गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष)	चावल–1.5 कि0ग्रा0 गेहूँ–2.5 कि0ग्रा0	0.5 कि0ग्रा0	देसी घी–900 ग्राम स्किम्ड दूध–750 ग्राम

[1] उक्त तालिका में उल्लिखित मदों के लिए कैलोरी एवं प्रोटीन की गणना, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, आई0सी0एण्म0आर0 द्वारा ''भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य'' (Nutritive Value of Indian Foods) का उपयोग करके की गयी है। यह संस्करण वर्ष 2012 में पुनमुर्द्रित किया गया था।

3– भूमिका एवं उत्तरदायित्व :

उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रकिया'' (एस0ओ0पी0)

(i) यह ''एस0ओ0पी0'' बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 के विभिन्न पदाधिकारियों, यू0पी0एस0आर0एल0एम0, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (एफ0एण्डसी0एस0डी0), पी0सी0डी0एफ0, एस0एच0जी0, उचित मूल्य की दुकानों के मालिकों, आंगनवाडी केन्द्रों (ए0डब्लू0सी0), आंगनबाडी कार्यकत्रियों (ए0डब्लू0डब्लू0), ग्राम, ब्लाक एवं जनपदीय मानिटरिंग समितियों, पर लागू होगा।

चित्र–1 : ''स्वंय सहायता समूहों'' (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन टी0एच0आर0 उत्पादों के प्रवाह का आरेखीय चित्रण :

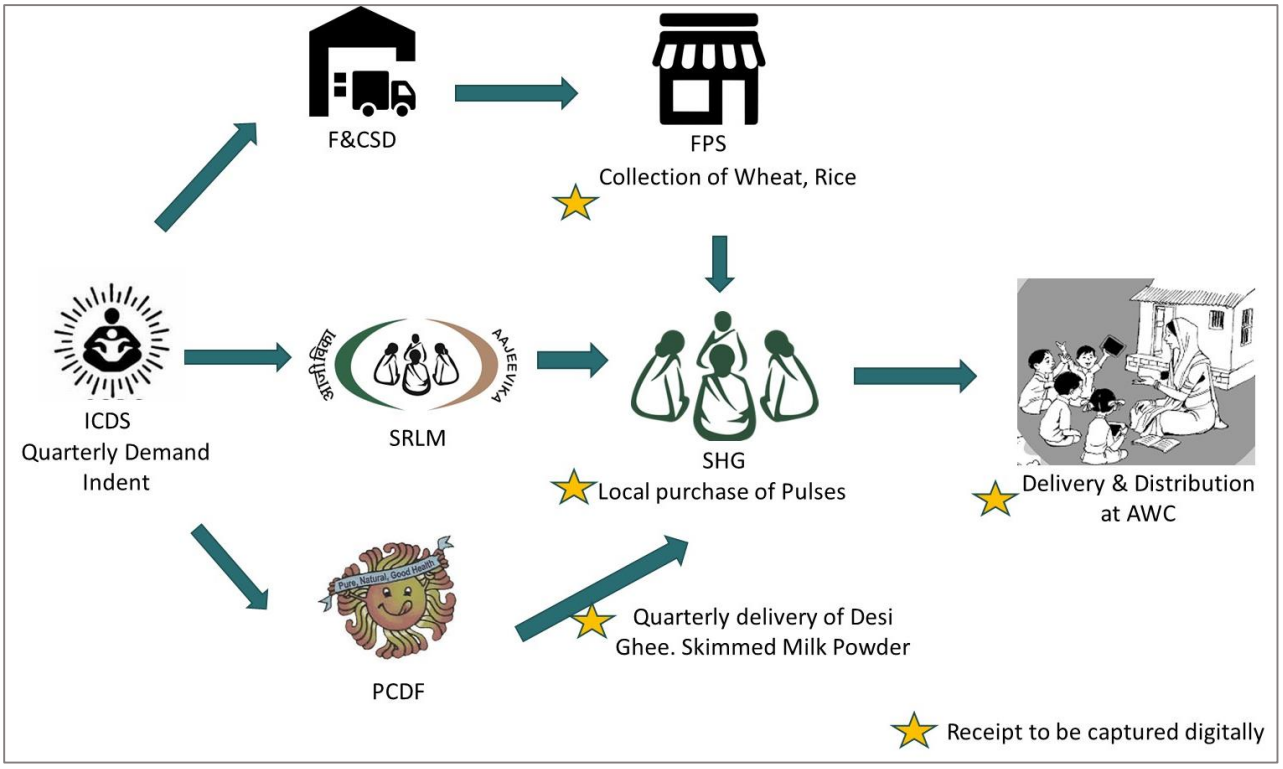

(ii) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र को, प्रथम चरण/कदम के रूप में एक एस0एच0जी0 एंव पी0डी0एस0 के सापेक्ष मानचित्रित (mapped) किया जायेगा और आई0सी0डी0एस0 द्वारा इसकी सूची आई0टी0 मंच (platform) पर प्रकाशित की जायेगी। एस0एच0जी0 के प्रदर्शन (performance) के आधार पर, यू0पी0एस0आर0एल0एम0 के परामर्श से, एस0एच0जी0 की मैपिंग/मानचित्रीकरण को समय–समय पर अद्यतन किया जा सकता है।

(iii) **मांग–पत्र (Demand Indent) (DI) :**

(क) आई0सी0डी0एस0 द्वारा डिजलीकृत हस्ताक्षरित मांग–पत्र पोर्टल पर सृजित किया जायेगा और आई0टी0 मंच के माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों को भेजा जायेगा। यू0पी0एस0आर0एल0एम0, एफ0एण्डसी0एस0डी0 एवं पी0सी0डी0एफ0 मांग–पत्र को आई0टी0 मंच के माध्यम से प्राप्त करेंगे।

(ख) मांग–पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों की संख्या के आधार पर एक माह के लिए आवश्यक ड्राई राशन की विभिन्न सामग्रियों/वस्तुओं की सकल राज्य स्तरीय मात्रा/मात्राओं पर, आधारित होगा। विभिन्न सामग्रियों/वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों के मध्य इसे विभाजित किया जायेगा।

(ग) आपूर्ति में स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु मासिक मांग–पत्र विभिन्न एजेंसियों को तीन माह की अवधि के लिए प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। आई0सी0डी0एस0 द्वारा आई0टी0 मंच के माध्यम से लाभार्थी–सूची को निरन्तर आधार पर अद्यतित किये जाने का प्रावधान किया जायेगा, जिससे त्रैमासिक मांग–पत्र सबसे अद्यतन लाभार्थी सूची पर आधारित हो।

(iv) **मांग–पत्र के आधार पर एफ0एण्डसी0एस0डी0 की भूमिका** –

(क) एफ0एण्डसी0एस0डी0 द्वारा 'मैप की गयी'/मानचित्रित एफ0पी0एस0 को गेहूँ एवं चावल की आपूर्ति की जायेगी। माह के लिए आवश्यक गेहूँ एवं चावल की कुल मात्रा आई0टी0 मंच द्वारा प्रदर्शित/प्रदान की जायेगी जिसमें मांग–पत्र को एफ0एण्डसी0एस0डी0 के लिए एफ0सी0आई0 घटक एवं एफ0पी0एस0 दुकान मालिक के घटक, लागत मानक (पिछले आपूर्ति–चक्र को ध्यान में रखते हुए), के सापेक्ष विभाजित किए जाने का प्रावधान भी होगा, जिससे तद्नुसार फण्ड का स्थानान्तरण सुगम हो सके। आंगनबाड़ी केन्द्रों में आवश्यक गेहूँ एवं चावल की मात्रा के साथ–साथ उनकी आपूर्ति करने वाले मानचित्रित उचित मूल्य की दुकानों (एफ0पी0एस0) जहां से मानचित्रित एस0एच0जी0 द्वारा उक्त सामग्री एकत्र की जायेगी, की सूची भी सृजित करने में आई0टी0 मंच, सक्षम होगा।

(ख) एफ0पी0एस0 मालिकों द्वारा पिछले माह की 21 एवं 30 तारीख के मध्य गेहूँ एवं चावल का उठाव (lift) किया जाता है। तद्नुसार गेहूँ एवं चावल का मांत्र–पत्र एफ0एण्डसी0एस0डी0 को प्रथम चक्र और उसके बाद के लिए 45 दिन पहले प्रदान/प्रेषित किया जायेगा।

(ग) एफ0एण्डसी0एस0डी0 में पूर्व से ही एक सुविकसित आई0टी0 प्रणाली विद्यमान है। मांग–पत्र के आधार पर, एफ0सी0आई0, एफ0पी0एस0

मालिकों को आदेशों का निर्गमन, गेहूँ एवं चावल का उठाव एवं एफ0पी0एस0 में चावल व गेहूँ की निर्धारित मात्रा की अन्तिम उपलब्धता तथा मानचित्रित एस0एच0जी0 द्वारा एफ0पी0एस0 से गेहूँ एवं चावल के उठाव संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही एफ0एण्डसी0एस0डी0 के आई0टी0 मंच के माध्यम से ट्रैक की जायेगी। इसे अग्रेत्तर आई0सी0डी0एस0 के आई0टी0 मंच द्वारा ए0पी0आई0 के माध्यम से एफ0एण्डसी0एस0डी0 के आई0टी0 मंच से कैप्चर किया जायेगा।

(घ) मानचित्रित एस0एच0जी0 द्वारा एफ0पी0एस0 से प्रत्येक माह की 03 या 04 तारीख को सामग्री का उठाव किया जायेगा।

(v) **मांग–पत्र के आधार पर पी0सी0डी0एफ0 की भूमिका** –

(क) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा देसी घी एवं स्किम्ड दूध पाउडर प्रत्येक त्रैमास में एक बार मानचित्रित एस0एच0जी0 को सीधे आपूर्ति किया जायेगा। आई0टी0 मंच द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता के आधार पर देसी घी एवं स्किम्ड दूध पाउडर की मात्राओं के लिए मांत्र–पत्र सृजित किया जायेगा, जिसकी पी0सी0डी0एफ0 द्वारा मानचित्रित एस0एच0जी0 को सीधे त्रैमासिक आपूर्ति की जायेगी। देसी घी को 450 ग्राम एवं 900 ग्राम के दों मानक पैकेजों में तथा स्किम्ड दूध पाउडर को 400 ग्राम एवं 750 के मानक पैकेजों में प्रदान किया जायेगा।

(ख) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आई0सी0डी0एस0 के आई0टी0 मंच पर आपूर्ति के चरणों की प्रविष्ट की जायेगी। आई0टी0 प्रणाली द्वारा मांग–पत्र की सकल मात्रा और पिछले चक्र की वास्तविक आपूर्ति के आधार पर पी0सी0डी0एफ0 को स्थानान्तरित किए जाने वाले फण्ड की आवश्यकता का आंकलन भी किया जा सकेगा। पी0सी0डी0एफ0 दो उत्पादों की लागत, जो एक वर्ष के लिए निर्धारित की जायेगी, आई0सी0डी0एस0 को प्रदान करेगा।

(ग) पी0सी0डी0एफ0 द्वारा त्रैमास के माह (जिसमें इनकी आपूर्ति की जायेगी) की 03 या 04 तारीख तक एस0एच0जी0 को आपूर्ति की जायेगी, जिससे लाभार्थियों को समय से वितरण सुनिश्चित हो सके।

(vi) **मांग–पत्र के आधार पर यू0पी0एस0आर0एल0एम0 एवं एस0एच0जी0 की भूमिका**–

(क) आई0सी0डी0एस0 द्वारा मांग–पत्र सहित आंगनबाड़ी केन्द्रवार लाभार्थियों की संख्या (श्रेणीवार) हेतु निम्नलिखित ''मानक संचालन प्रकिया'' संबंधी प्रावधानों के अनुसार मानचित्रित एस0एच0जी0 द्वारा

आंगनबाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति की जाने वाले ड्राई राशन (टी0एच0आर0) की पैकेजिंग एवं डिलीवरी का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) यू0पी0एस0आर0एल0एम0, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी कि मानचित्रित एस0एच0जी0 द्वारा ''मानक संचालन प्रकिया'' के अनुरूप अपनी भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी एस0एच0जी0 के पास फोन उपलब्ध है। एस0आर0एल0एम0 द्वारा आई0सी0डी0एस0 के सहयोग से सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी एस0एच0जी0 द्वारा आई0टी0 मंच पर डेटा की प्रविष्टि की जाती है। एस0आर0एल0एम0 द्वारा प्रत्येक एस0एच0जी0 के लिए अधिमानतः दो फोन नम्बर ं सत्यापन एवं मानकीकरण के उद्देश्य से प्रदान किए जायेगे।

(ग) यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा एस0ओ0पी0 के अनुसार योजना एस0एच0जी0 को संसूचित की जायेगी।(घ) एस0एच0जी0 द्वारा मांग–पत्र के अनुसार अनाज (चावल/गेहूँ) की मात्रा प्रत्येक माह की 03 एवं 04 तारीख को एफ0पी0एस0 से उठायी जायेगी। इसे एफ0एण्डसी0एस0ड0 के आई0टी0 मंच में ओ0टी0पी0 आधारित प्रणाली द्वारा कैप्चर किया जायेगा। एस0एच0जी0 के फोन नम्बर को, ओ0टी0पी0 सृजित करने हेतु, आई0टी0 प्रणाली में मानचित्रित किया जायेगा।

(घ) ओ0टी0पी0 आधारित प्रणाली मानचित्रित एस0एच0जी0 द्वारा प्राप्त घी एवं स्किम्ड दूध पाउडर की प्राप्ति को भी कैप्टर करेगी। एस0एच0जी0 को ओ0टी0पी0 एवं प्रमाणीकृत–प्राप्ति प्राप्त होगी।

(ड़) एस0एच0जी0, क्षेत्रीय एवं मौसमी उपलब्धता के अनुसार दालों की स्थानीय खरीद के लिए, उत्तरदायी होगें।(थ) एस0एच0जी0 द्वारा कृय की गयी दालों की गुणवत्ता निम्नलिखित भौतिक जांच/परीक्षण के आधार पर सुनिश्चित की जायेगीः–

- आकार एवं माप में एकरूपता, खुदरी एवं शुष्क (dull and dry) दिखनी चाहिए।
- किसी अन्य खाद्यान/क्षतिग्रस्त अनाज व रंग उतरे हुए अनाज, केसरी दाल के साथ मिलावट नही होनी चाहिए तथा पत्थर, धूल, डंठल, मिट्टी के टुकड़े/ढ़ीले, जीवित व मृत घुन या अन्य प्रकार के इतर पदार्थ से रहित/मुक्त होना चाहिए।
- कीटनाशक, किसी रसायनिक, साबुन, मिट्टी के तेल या किसी अन्य आपत्तिजनक गंध से मुक्त होना चाहिए।

(vii) **आंगनबाड़ी केन्द्र पर एस0एच0जी0 द्वारा ड्राई राशन की पैकेजिंग एवं**

उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रकिया'' (एस0ओ0पी0)

वितरण –

(क) एस0एच0जी0 द्वारा उपरिवर्णित विधि के अनुसार अनाज, देसी घी, दुग्ध पाउडर एवं दालें एकत्र करने के पश्चात प्रत्येक माह 04 एवं 05 तारीख को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पैकेजिंग एवं वितरण किया जायेगा तथा प्रत्येक माह की 05 एवं 06 तारीख को ड्राई राशन का लाभार्थियों को वितरण होगा।

(ख) किसी आंगनबाड़ी केन्द्र पर ड्राई राशन के प्रथम वितरण चक्र के लिए, निम्नानुसर कार्यवाही की जायेगी :–

- प्रत्येक लाभार्थी (03 से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को छोड़कर) को तीन पृथक–पृथक प्लास्टिक कंटेनरों में पैक करके गेहूँ, चावल, दाले दी जायेंगी। 03 से 06 वर्षीय आयु वर्ग के लाभार्थी बच्चों के लिए दो पृथक–पृथक प्लास्टिक कंटेनरों में गेहूँ एवं चावल दिये जायेंगे। प्लास्टिक कन्टेनर खाद्य–ग्रेड गुणवत्ता के होंगे तथा पारदर्शी, रंगीन व प्रत्येक लाभार्थी के लिए चावल, गेहूँ एवं दालों की मासिक आवश्यकता के बराबर क्षमता वाले होंगे। यू0पी0एस0आर0एल0एम0 द्वारा वांछित क्षमता के कन्टेनर अपेक्षित संख्या में एस0एच0जी0 को उपलब्ध कराये जायेंगे। उनके द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए कन्टेंनरों का एक अतिरिक्त सेट भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रथम वितरण दिवस को दिये गये प्लास्टिक कंटेनरों को प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी के लिए निम्ननुसार कलर किये जायेंगे :–

लाभार्थी	**पैकेट का रंग**
06 माह से 03 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे	आसमानी नीला
03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे	अल्का हरा
गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चे	लाल
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं	पीला
किशोर बालिकाएं (11 से 14 वर्ष, स्कूल से बाहर)	गुलाबी

- कंटेनरों के ढक्कन पर निम्नानुसार निर्दिष्टि संदेश प्रदर्शित किया जायेगाः–

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश
एस0एन0पी0/एस0ए0जी0 के अन्तर्गत आइ0सी0डी0एस0 पूरक आहार बिक्री के लिए नहीं – क्रय तथा विक्रय दण्डनीय अपराध है।
जनपद का नाम .....

एस0एच0जी0 का नाम व पता .....
किसी पृच्छा/शिकायत के लिए कॉल सेन्टर का नम्बर .....

- दुग्ध उत्पाद (घी एवं स्किम्ड दूध पाउडर) को पी0सी0डी0एफ0 द्वारा पूर्व–पैक किया जायेगा। दुग्ध उत्पाद अधिमानतः ड्राई राशन के साथ अथवा पी0सी0डी0एफ0 से प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर वितरित किए जायेंगे।

(ग) द्वित्तीय वितरण चक्र से अग्रेत्तर चावल, गेहूँ एवं दालों की पृथक से पैकेजिग नही की जायेगी। लाभार्भी से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वंय कन्टेनर लायेंगे और उसे क्षमानुसार भरेंगे।

(viii) **ड्राई राशन एवं दुग्ध उत्पाद का वितरण** –

(क) वितरण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी, एस0एच0जी0 एवं मॉनीटरिंग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में, आंगनबाड़ी कार्यकत्री की होगी। ड्राई राशन का वितरण प्रत्येक माह की 05 एवं 06 तारीख को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एस0एच0जी0 के सदस्यों की उपस्थिति में आंगनबाड़ी कायकत्री द्वारा किया जायेगा। आंगनबाड़ी कायकत्रियों द्वारा ड्राई राशन के लिए लाभार्थियों को संगठित (mobilize) किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक माह की 05 एवं/अथवा 06 तारीख को टी0एच0आर0 गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं एवं किशोरियों, 06 माह से 03 वर्ष एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों तथा गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों को वितरित किया जायेगा।

(ग) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आंगनबाड़ी केन्द्र की दीवार/बोर्ड पर अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एस0एन0पी0) एवं किशोर बालिकाओं हेतु योजना (एस0ए0जी0) के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता लिखी गयी हो। यह पात्रता आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा पारित नवीनतम दिशा–निर्देश/आदेश के अनुसार होगी।

(घ) आगामी वितरण चक्र के लिए, लाभार्थियों द्वारा अपने घर से उन प्लास्टिक कन्टेनर को लाना आवश्यक है, जो उन्हें प्रथम वितरण चक्र में गेहूँ, चावल एवं दालों को लेने के लिए प्राप्त हुए थे। यदि कोई लाभार्थी गेहूँ, चावल एवं दालों को एकत्र करने हेतु प्लास्टिक कन्टेनर नही ला सका है, तो वह अनाज को अपने किसी अन्य घरेलू कन्टेनर या थैले में ले सकता है।

(ड़) आंगनबाड़ी कार्यकत्री/स्वंय सहायक समूह द्वारा

मापन–बर्तन/कन्टेनर (एस0आर0एल0एम0 द्वारा उपलब्ध कराया गया) का प्रयोग किया जायेगा जो लाभार्थियों को गेहूँ, चावल एवं दालों की विशिष्ट मात्रा प्रदान करने में सहायक होगा। यदि कोई लाभार्थी मापन–बर्तन/कन्टेनर की मदद से मापे गये अनाज की मात्रा से आश्वस्त नहीं है, तो एस0एच0जी0 द्वारा अनाज को विधिवत् नाप/तोल कर लाभार्थी को दिया जाना आवश्यक होगा।

(त) आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा वितरण दिवसों पर लाभार्थियों के लिए ''परामर्श सत्र'' आयोजित किये जायेंगे। स्थानीय स्तर पर प्रसंगिक व्यंजनों के रूप में ड्राई राशन (टी0एच0आर0) के उपयोग को बढ़ावा देने वाली आई0ई0सी0 गतिविधियां भी वितरण–दिवसों पर लाभार्थियों द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है।

(थ) स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने में आई0इ0सी0 **सामग्री** एवं दी गयी वस्तुओं से पौष्टिक व्यंजनों की **तैयारी** को, आई0सी0डी0एस0 द्वारा विधिनुसार व्यंजनों के साथ–साथ ड्राई राशन एवं दुग्ध उत्पादों के उपभोग को लोकप्रिय बनाने हेतु, विकसित किया जायेगा।

(द) ड्राई राशन की वितरण प्रकिया को एस0एच0जी0/ए0डब्लू0डब्लू0/ मॉनीटरिग समिति एवं आई0सी0डी0एस0 पदाधिकारियों द्वारा फोटोग्राफी/विडियोग्राफी (मुद्रांकित तिथि सहित) की जायेगी एवं मुद्रांकित तिथि सहित सुसंगत फोटोग्राफ को वितरण के बाद पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यह फोटोग्राफ ड्राई राशन के सफल वितरण का प्रमाण भी होंगें।

(ध) प्रत्येक वितरण दिवस के अन्त में, आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा उस दिवस को ड्राई राशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की प्रविष्टि की जायेगी। कोई भी बचा हुआ उत्पाद आंकनबाड़ी कार्यकत्री के पास रहेंगे और यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे समय–समय पर लाभार्थियों की सूची अद्यतन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर सही मात्रा में आपूर्ति की गयी है।

(न) विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का सारांश अनुलग्नक–2 मे उपलब्ध है

4. निगरानी एवं गुणवत्ता की जॉच

विभिन्न स्तरों पर निगरानी तंत्र का सारांश निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है :–

उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रकिया'' (एस0ओ0पी0)

क0 सं0	निगरानी समिति	सदस्य	भूमिका/दायित्य
1.	**ग्राम निगरानी समिति (वी0एम0सी0)**	• ग्राम प्रधान (अध्यक्ष) • ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मिशन (आंगनवाड़ी कार्यकत्री के अतिरिक्त) – एक सदस्य • ग्राम पंचायत का सदस्य – एक सदस्य • टेक होम रोशन लाभार्थी माता (रोटेशन से) – एक सदस्य • किशोरी लाभार्थी (अधिमानतः वीरांगना दल की सखी/सहेली–रोटेशन से) – एक सदस्य	• ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर सूखे राशन (dry ration) के वितरण के साथ–साथ दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता। • लाभार्थियों को सूखे राशन के साथ–साथ स्वयंसेवी समूह द्वारा दुग्ध उत्पादों का वितरण। • स्वयंसेवी समूह की ओवरसीज पैकेजिंग प्रकिया (वजन सहित) एवं आवश्यक लेबिल की मौजूदगी सुनिश्चित करना। यह गतिविधि एकबार की जाने वाली है। • उचित मूल्य की दुकानों (Fair Price shop) से स्वयंसेवी समूह द्वारा अनाज लेते समय सदस्यों की उपस्थिति। • स्वयंसेवी समूह द्वारा स्थानीय बाजार से दालों की खरीद के समय सदस्यों की उपस्थिति।
2.	**ब्लॉक निगरानी समिति (बी0एम0सी0)**	• खण्ड विकास अधिकारी (अध्यक्ष) • बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी0डी0पी0ओ0), बाल विकास एवं पुष्टाहार सेवाएं • आपूर्ति निरीक्षक • खाद्य सुरक्षा अधिकारी (ब्लाक के प्रभारी)	• एफसीआर/एफएंडडी एवं सीएसडी ब्लॉक के गोदामों से लेने वाले अनाजों एवं टीएचआर द्वारा क्रय किये गये अनाज की गुणवत्ता एवं मात्रा की जांच। • आंगनवाड़ी केन्द्रों में टीएचआर की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी।

		• ब्लॉक मिशन प्रबन्धक, एस0आर0एल0एम0 • ब्लॉक से एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री (रोटेशन द्वारा)	
3.	**जिला निगरानी समिति (डी0एम0सी0)**	• जिलाधिकारी (अध्यक्ष) • डी0पी0ओ0 (संयोजक) • जिला पोषण समिति के सदस्य	• जिला स्तर पर टीएचआर आपूर्ति श्रृंखला का सम्पूर्ण प्रबन्धन। • टीएचआर आपूर्ति श्रृंखला के परफारमेंस की आवधिक समीक्षा (Periodic Review) • प्रत्येक ब्लॉक में टीएचआर की आपूर्ति एवं वितरण की निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नामित करना।

- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अपने सामान्य वितरण तंत्र के साथ आई0सी0डीएस0 एस0एन0पी0 के तहत आवंटन के लिए एक ही क्यू0सी0 पैरामीटर लागू करेगा। (पीडीएस/डीएफपीडी का उपयोग एफ0ए0क्यू0 – निष्पक्ष औसत गुणवत्ता मानकों के अनुसार चावल/गेहूँ अनाज के क्रय हेतु)

- आई0सी0डी0एस0, खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफ0एन0बी0) अथवा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर रैंडम परीक्षण किया जा सकता है।

- आई0सी0डी0एस0 कॉल सेन्टर द्वारा लाभार्थी का फीडबैक लिया जायेगा।

5. भुगतान

i. पी0सी0डी0एफ0 द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गये इनवाइस/बिलों के आधार पर आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा त्रैमासिक भुगतान किया जायेगा।

ii. आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा एफ0सी0आई0 से क्रय किये जाने वाले गेहूँ एवं चावल के लिए एफएण्डसीएसडी को अग्रिम भुगतान किया जायेगा। एफ0पी0एस0 मालिकों को परिवहन एवं प्रोत्साहन तथा अन्य किये गये व्यय का भुगतान एफएडी और सीएसडी से चालान प्राप्त होने पर किया जायेगा।

iii. आई0सी0डी0एस0 विभाग, एफ0एण्ड0सी0एस0डी0 को किये जाने वाले भुगतान

की धनराशि काटकर शेष धनराशि, इसी महीने घी/स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति के लिए पी0सी0डी0एफ0 को एवं स्वयंसेवी समूह द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर सूखे अनाज चावल एवं गेहूँ की आपूर्ति हेतु यूपीएसआरएलएम को उनके विद्यमान निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सिस्टम जेनरेटड रसीद के आधार पर हस्तांतरित करेगा।

iv. स्वयं सेवा समूह को धनराशि के वितरण की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी यूपीएसआरएलएम की होगी।

v. तीनों आपूर्तिकर्ताओं – एफएण्डसीएसडी, पीसीडीएफ एवं यूपीएसआरएलएम द्वारा संबंधित समस्त बिलों/इनवाइसों/वाउचर्स को पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

उत्तर प्रदेश में स्वंय सहायता समूहों (एस0एच0जी0) के माध्यम से ड्राई राशन वितरण हेतु ''मानक संचालन प्रक्रिया'' (एस0ओ0पी0)

अनुलग्नक–1 : सारांशित भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियॉ

विभाग	भूमिका एवं दायित्व
यूपीएसआरएलएम एवं एसएचजी	• प्रशिक्षित एवं क्रियाशील एसएचजी द्वारा सूखा राशन दुग्ध उत्पाद वितरित किया जाए • डी0आई0 द्वारा एसएचजी को समय पर सूचित किया जाए। • उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अनाज का उठाना • स्थानीय बाजार से दालों की खरीद • पैकेजिंग, परिवहन और आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति/वितरण। • आंगनवाड़ी केन्द्रों पर टीएचआर के वितरण में सहायता।
एफ0 एण्ड सी0एस0डी0	• एफ0पी0एस0 को गेहूँ एवं चावल के समय से मांग–पत्र निर्गत कर सूचित करना। • एफ0पी0एस0 से जी0पी0 हेतु परिवहन की व्यवस्था • एफ0पी0एस0 मालिकों को परिवहन एवं अन्य देयकों का भुगतान। • अनाजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
पी0सी0डी0एफ0	• घी एवं स्किम्ड दूध पाउडर का उत्पादन, पैकेजिंग एवं एस0एच0जी0 की मैपिंग करते हुए, उनके माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रवार उक्त उत्पादों के परिवहन एवं वितरण की व्यवस्था। • उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
आई0सी0डी0एस0	• त्रैमासिक मांग पत्र का आंकलन कर एस0आर0एल0एम0, एफ0 एण्ड सी0एस0डी0 तथा पी0सी0डी0एफ0 को समय से सूचित करना। • एस0आर0एल0एल0 एवं पी0सी0डी0एफ0 को नियमित तौर पर भुगतान।

	• टी0एच0आर0(राशन वितरण) दिवस पर लाभार्थी को जुटाना (Mobilisation) एवं सत्यापन करना। • समग्र निगरानी। • एस0एच0जी0 सदस्यों की उपस्थिति में आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा टी0एच0आर0 का वितरण किया जायेगा।